

मुन्तकिली प्रकरण सं० 18/2016 अनवानी रामदयाल पुत्र पोलासिंह जाति  
रामदासिया नि० डूंगरसिंहपुरा तह० सादुलशहर बनाम 1-उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर 2-हरनामकौर पत्नि 3-साधुसिंह पुत्र 4-माधासिंह 5-भूरी पुत्री  
6-मूर्ति पुत्री 7-कीडी पुत्री गजासिंह जातियान रामदासिया निवासीयान 17  
एसपीएम तह० सादुलशहर 8-ग्राम पंचायत 15 एपपीएम जरिये सरपंच

20.09.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी साधुसिंह के  
अभिभाषक श्री भगत सिंह उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी साधुसिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी, सादुलशहर अपील ईन्तकाल संख्या 2/2015 हरनाम कौर बनाम रामदयाल  
में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल  
करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के  
तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र  
स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन  
हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज  
किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो  
पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में लंबित अपील  
ईन्तकाल संख्या 2/2015 हरनाम कौर बनाम रामदयाल में निष्पक्ष न्याय न मिलने की  
संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली  
प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन  
उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो  
गये हैं। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है।  
पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज  
किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन  
होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात  
फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी,  
सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल  
दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

1671  
26374

18  
16  
A3